9

9.1 अपने लोगों का पोषण और सहयोग
9.2 जोखिम प्रबंधन और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण
9.3 पारदर्शिता और सतर्कता को सुदृढ़ करना
9.4 संधारणीय डिजिटल आधारभूत संरचना के निर्माण में गति लाना
9.5 डेटा प्रबंधन और सूचना प्रणालियों का आधुनिकीकरण
9.6 संसदीय समिति के दौरे और संसदीय प्रश्न
9.7 राजभाषा का संवर्धन
9.8 विपणन और संप्रेषण रणनीति का सरेखण
9.9 भारत के ग्रामीण विकास हेतु संगठित नाबार्ड
अध्याय 9 का परिशिष्ट

लोग—प्रक्रियाएँ और नीतियाँ

नाबार्ड काम करने और व्यावसायिक रूप से प्रगति करने के लिए के लिए अच्छी जगह है.

चार दशकों से भी अधिक की अवधि से 'भारत के शीर्ष विकास बैंक' के रूप में नाबार्ड की टीम ग्रामीण समृद्धि को प्रोत्साहित करने के अपने अधिदेश की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर काम कर रही है. लोगों के इस असाधारण समुदाय का निर्माण करने और उसे बनाए रखने के लिए, हमने अपने मानव संसाधन आधार में लगातार निवेश किया और उसे सशक्त बनाया है और साथ ही न केवल कार्यस्थल पर उनकी खुशी सुनिश्चित की है, बल्कि उनमें खुशहाली की समग्र भावना का भी संचार किया है. अपने लोगों के माध्यम से हमने प्रभावशाली प्रबंधन, सुदृढ़ प्रणालियों और प्रक्रियाओं, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों के साथ एक अनुकरणीय ज्ञान-आधारित संगठन का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया है. साथ ही साथ, हम ग्रामीण भारत की बढ़ती अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील बने रहे, जो उसकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध कार्मिकों की प्रतिक्रियाशील और अनवरत कौशलवृद्धि की अपेक्षा रखता है.

9.1 अपने लोगों का पोषण और सहयोग

एक टीम का निर्माण प्रत्येक स्टाफ सदस्य और उनकी कार्यालयीन भूमिका के बीच एक अच्छा मेल सुनिश्चित करने के एक स्पष्ट और सरल कदम से शुरू होता है. किंतु यह क्षमता निर्माण, विशेषज्ञता विकास, और लंबे समय तक संसाधनों की वचनबद्धता बनाए रखने की जटिल चुनौतियों को पूरा करने के लिए तेज़ी से विकसित होता रहता है. नाबार्ड के मानव संसाधन प्रबंधन का मंत्र, इसे काम करने की एक अच्छी जगह बनाने और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से प्रगति करने के इर्द-गिर्द घूमता रहता है. इन उपायों का प्रभावशाली कार्यान्वयन हमारे समुदाय को सशक्त बनाता है, हमारे काम की गुणवत्ता को बढ़ाता है, विश्वास निर्मित करने और स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें सक्षम बनाता है, जो नाबार्ड द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों में प्रतिबिंबित होता है.

चित्र 9.1: 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार स्टाफ का संघटन

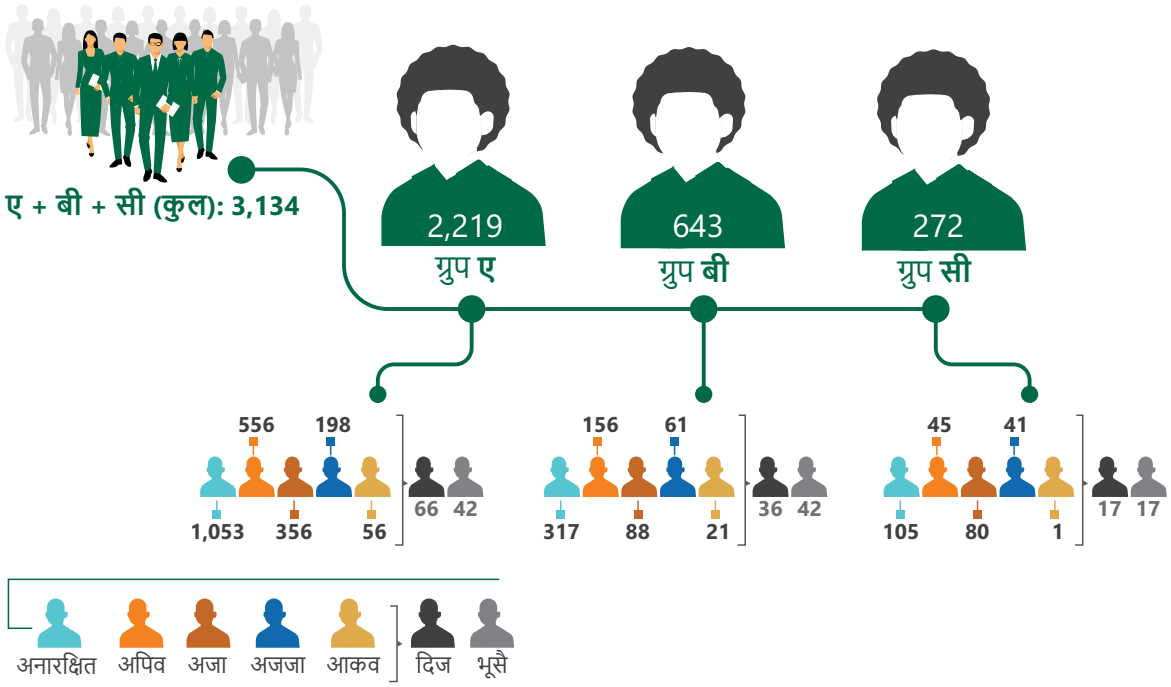

नोट: अपिव = अन्य पिछड़ा वर्ग, अजा = अनुसूचित जाति, अजजा = अनुसूचित जनजाति, अकव = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिज = दिव्यांग जन, भूसै = भूतपूर्व सैनिक.

9.1.1 स्टाफ की संरचना

समान-अवसर देने वाले एक कार्यस्थल के रूप में नाबार्ड में 776 महिला कर्मी कार्यरत हैं.

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड में विभिन्न संवर्गों में 3,134 स्टाफ सदस्य हैं. अपने स्टाफ की संरचना की आयोजना में यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण मानदंडों का कड़ाई से पालन करता है. पैनल वर्ष 2024 के लिए सही समय पर और पारदर्शी पदोन्नति प्रक्रिया के साथ 286 अधिकारी उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए सूचीबद्ध किए गए. इसके अलावा 26 ग्रुप 'बी' कर्मचारियों को ग्रामीण विकास बैंकिंग सेवा में सहायक प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया और 24 ग्रुप 'सी' स्टाफ सदस्यों को सहायक रखवाल के रूप में पदोन्नत किया गया.

समान-अवसर देने वाले एक कार्यस्थल के रूप में नाबार्ड में 776 महिला कर्मी कार्यरत हैं, जो कि उसकी कुल कर्मचारी संख्या का लगभग एक-चौथाई है. यह संगठन अपने पूरे स्टाफ को करियर प्रगति के लिए समान और न्यायसंगत अवसर प्रदान करने हेतु प्रयासरत है.

9.1.2 सामर्थ्य और क्षमताएं निर्मित करने हेतु पहलें

नाबार्ड ने अपने स्टाफ को, 'कौशल-उन्नयन' और 'कौशल-वृद्धि' के अनेक अवसर प्रदान किए हैं. राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय (एनबीएससी), लखनऊ (नाबार्ड के स्टाफ के लिए) और लखनऊ, कोलकाता तथा मंगलूरु स्थित बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (नाबार्ड के ग्राहक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए) जैसे नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थान, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से गतिशीलता और उत्कृष्टता का संचार करते हैं.

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान एनबीएससी ने 2,725 अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों की सहभागिता के साथ विभिन्न विषयों पर 110 कार्यक्रमों का आयोजन किया. एनबीएससी ई-लर्निंग, मामला अध्ययनों और परिचयात्मक दौरों को शामिल करके मिश्रित-ज्ञानार्जन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करता आ रहा है जिससे, अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के लिए एक समग्र शिक्षण अनुभव सुनिश्चित किया जा सके. इसके अलावा, जैसा कि चित्र 9.2 में दर्शाया गया है, ग्राहक संस्थानों के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है.

चित्र 9.2: वित्तीय वर्ष 2024 में प्रशिक्षण संबंधी उपलब्धियां

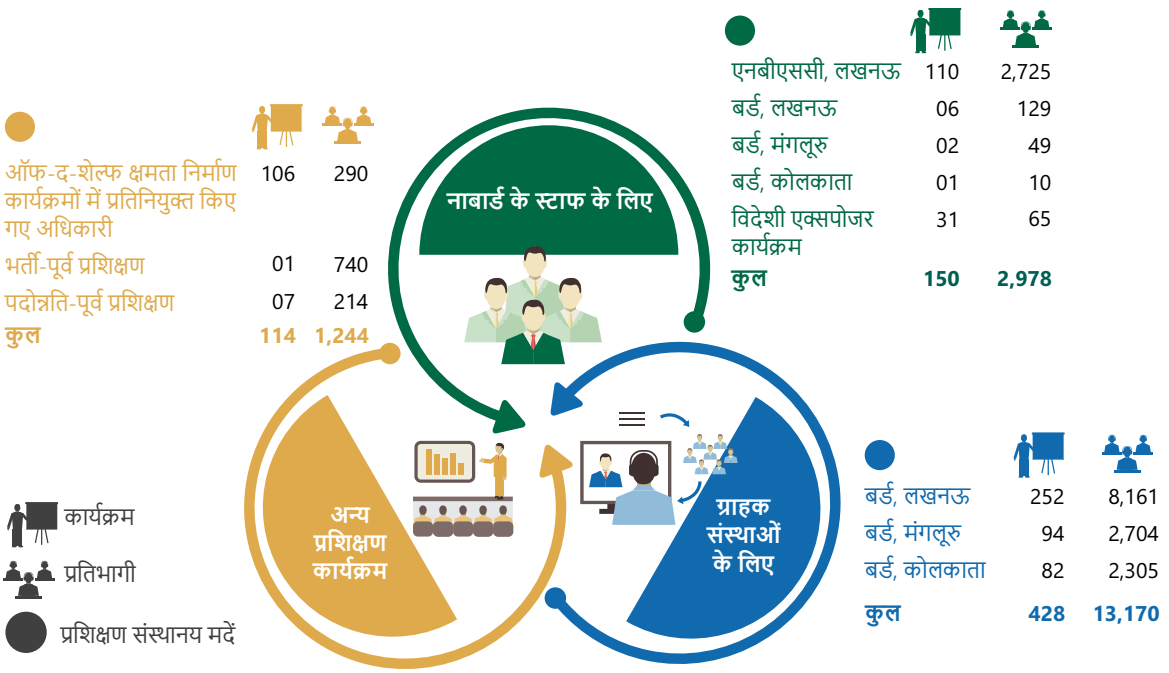

	कार्यक्रम	प्रतिभागी
ऑफ-द-शेल्फ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी	106	290
भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण	01	740
पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण	07	214
कुल	**114**	**1,244**

	कार्यक्रम	प्रतिभागी
एनबीएससी, लखनऊ	110	2,725
बर्ड, लखनऊ	06	129
बर्ड, मंगलूरु	02	49
बर्ड, कोलकाता	01	10
विदेशी एक्सपोजर कार्यक्रम	31	65
कुल	**150**	**2,978**

	कार्यक्रम	प्रतिभागी
बर्ड, लखनऊ	252	8,161
बर्ड, मंगलूरु	94	2,704
बर्ड, कोलकाता	82	2,305
कुल	**428**	**13,170**

बर्ड = बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, एनबीएससी = राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय.

नोट: प्रतिभागी और कार्यक्रम पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं है. एक प्रतिभागी ने एक से अधिक कार्यक्रमों में भाग लिया हो सकता है.

बेहतर प्रशिक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थानों ने ई-लर्निंग, नई साझेदारियों, नए मॉड्यूलों और पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी शिक्षण-कलाओं को विकसित किया.

'प्रोत्साहन अध्ययन योजना' के तहत 57 कर्मचारियों ने प्रतिष्ठित संस्थानों से व्यावसायिक और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया.

महामारी द्वारा उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करते हुए, बेहतर प्रशिक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए, एनबीएससी और बर्ड, दोनों ने, ई-लर्निंग, नई साझेदारियों, नए मॉड्यूलों और पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी शिक्षण-कलाओं को विकसित किया.

9.1.3 स्टाफ कल्याण पहलें

- अपने स्टाफ सदस्यों की बढ़ती आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखते हुए नाबार्ड ने वर्ष के दौरान अपने सेवारत स्टाफ सदस्यों के साथ-साथ सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा की और उन्हें यथोचित रूप से संशोधित किया.
- नाबार्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए, बकाया आवास ऋणों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा के लिए भी समूह बीमा योजनाओं के तहत बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना जारी रखा.
- नाबार्ड के कर्मचारियों को समूह सावधि बीमा पॉलिसी के तहत जीवन बीमा सुरक्षा मिलना जारी रही.
- उपर्युक्त के अलावा बदलते समय और बदलती आकांक्षाओं के साथ गति बनाए रखने के लिए आवास ऋण सुविधा की भी समीक्षा की गई और उसमें सुधार लाए गए.

9.1.4 मानव संसाधन संबंधी अन्य पहलें

औद्योगिक संबंध

औद्योगिक संबंध सामंजस्यपूर्ण और रचनात्मक बने रहे जिससे नाबार्ड एक उत्कृष्ट कार्यस्थल बना. भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के परिणामस्वरूप 13 जुलाई 2023 को अखिल भारतीय नाबार्ड कर्मचारी संघ और नाबार्ड के बीच, ग्रेड भत्ते के संशोधन से संबंधित अनुपूरक निपटान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और अधिकारियों के ग्रेड भत्ते और अध्ययन भत्ते के संशोधन पर प्रशासनिक परिपत्र जारी किया गया.

महिलाओं के प्रति जागरूकता

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) के प्रावधानों के अनुसार शिकायतों के निपटान के लिए नाबार्ड की केंद्रीय शिकायत समिति और क्षेत्रीय शिकायत समितियाँ प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं.

नवनियुक्त ग्रेड ए अधिकारियों और विकास सहायकों सहित स्टाफ को जागरूक बनाने के लिए 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (पॉश)' पर विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षेका), प्रधान कार्यालय (प्रका), और प्रशिक्षण संस्थानों (प्रसं) में लैंगिक परिप्रेक्ष्यों/ लैंगिक संवेदनशीलता के एकीकरण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए.

9.2 जोखिम प्रबंधन और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण

9.2.1 जोखिम प्रबंधन संबंधी पहलें

नाबार्ड ने जोखिमों का शमन करने और व्यावसायिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ कार्यान्वित की हैं. जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्कों को बेहतर किया है और उद्यम जोखिम प्रबंधन व्यवस्था को स्वचालित किया है.

नाबार्ड ने मौजूदा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने और जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्यों को स्वचालित करने के लिए वर्तमान उद्यम जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर (ईआरएमएस) को भी अपग्रेड किया है. नीतियों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात और बेसल III फ्रेमवर्क के लिए उपयोगी अन्य रिपोर्टों के स्वचालित

जनरेशन के लिए ईआरएमएस को अपग्रेड और फ़ाइन-ट्यून किया गया. बेसल III मानदंडों के अनुरूप एक नया एएलएम सॉफ्टवेयर भी प्रारंभ किया गया है.[1]

नाबार्ड के स्टाफ के लिए लैंगिक परिप्रेक्ष्यों/ लैंगिक संवेदनशीलता के एकीकरण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए.

9.2.2 संशोधित/ नई प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ

बॉक्स 9.1: बेसल III का कार्यान्वयन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 21 सितंबर 2023 के मास्टर निदेशों के माध्यम से दिनांक 01 अप्रैल 2024 से प्रभावी रूप में नाबार्ड सहित सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) के लिए बेसल III फ्रेमवर्क की प्रयोज्यता को अनिवार्य किया है. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान बेसल III कार्यान्वयन से संबंधित 10 जोखिम प्रबंधन नीतियाँ जारी/ संशोधित की गईं. इसके साथ ही सीएलएमएएस जैसे सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, नया ट्रेजरी सॉफ्टवेयर, नया एएलएम सॉफ्टवेयर, और ईआरएमएस को बेसल III की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सीआरएआर के स्वचालित जनरेशन हेतु अपग्रेड/ फाइन-ट्यून किया गया.

एआईएफ़आई = अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, एएलएम = आस्ति देयता प्रबंधन, सीएलएमएएस = केंद्रीकृत ऋण प्रबंधन और लेखांकन प्रणाली, सीआरएआर = जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात, ईआरएमएस = उद्यम जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर

नाबार्ड ने अपने जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न संशोधित/ नई प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ प्रारंभ की हैं.

- नाबार्ड की सभी नीतियों की समयबद्ध समीक्षा हेतु फ्रेमवर्क स्थापित करना.
- हाल ही में आरंभ किए गए बेसल III फ्रेमवर्क के तीन स्तंभो का अनुपालन करने के लिए नाबार्ड की सभी जोखिम प्रबंधन नीतियों को समरूप बनाना: न्यूनतम पूँजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया, और बाजार अनुशासन (बॉक्स 9.1).
- सभी जोखिम प्रबंधन नीतियों को परिष्कृत करना तथा उन्हें नवीनतम विनियामक दिशानिर्देशों और उद्योग की उच्चतम प्रथाओं के साथ संरेखित करना.
- पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त और अनुदानों के साथ-साथ दबावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन से संबंधित लागतों की मंजूरी के लिए समिति-आधारित दृष्टिकोण आरंभ करना.
- उप प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन समितियों - ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति, और बाजार जोखिम प्रबंधन समिति - का एक टियर स्थापित कर जोखिम प्रबंधन अभिशासन संरचना को सुदृढ़ करना.
- संबंधित व्यावसायिक विभागों के साथ समन्वय से नाबार्ड के व्यावसायिक उत्पादों के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं तैयार करना.
- नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता ऋणों के लिए आंतरिक जोखिम रेटिंग मॉडल को 4-पॉइंट स्केल से 9-पॉइंट स्केल में अपग्रेड करना.
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) और एनबीएफ़सी-लघुवित्त संस्थाओं के लिए एक परिष्कृत पूर्व चेतावनी संकेत और चूक पूर्वानुमान मॉडल कार्यान्वित करना.
- मौजूदा आंतरिक जोखिम रेटिंग मॉडलों की समीक्षा, सत्यापन और परिमार्जन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करना.
- स्टाफ के सभी स्तरों पर सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन संस्कृति के निर्माण हेतु क्षेत्रीय जोखिम जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित करना; वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान पाँच कार्यशालाएँ आयोजित की गईं.
- सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग और बाजार जोखिम प्रबंधन पर नई नीतियाँ आरंभ करना; वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान दो नई नीतियाँ लागू की गईं.
- नए उत्पाद हेतु अनुमोदन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर नए/ संशोधित उत्पादों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की प्रक्रिया का परिमार्जन करना; और
- नाबार्ड ने कार्य के प्रमुख क्षेत्रों पर नीतियां बनाई हैं (अध्याय 9 का परिशिष्ट).

9.2.3 आंतरिक निरीक्षण

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान 26 क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रधान कार्यालय के 17 विभागों, 2 प्रशिक्षण संस्थानों, और 7 सहायक कंपनियों में आयोजित 52 नियमित निरीक्षणों के माध्यम से नाबार्ड के आंतरिक कामकाज की जाँच की गई और उसका पर्यवेक्षण किया गया. सभी उच्च मूल्य वाले ऋण खातों का ऋण लेखापरीक्षण किया गया, जिनके तहत मंजूर ऋण राशि ₹100 करोड़ से अधिक है. क्षेत्रीय कार्यालयों में समवर्ती लेखापरीक्षा कक्ष में पदस्थ स्टाफ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए और मानवजनित त्रुटि के मामलों को कम करने के लिए कार्यक्रमों से प्राप्त प्रतिक्रियाएँ साझा की गईं.

आंतरिक निरीक्षण प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक निरीक्षण और लेखापरीक्षण (आरबीआईआईए) आरंभ किया गया है. आरबीआईआईए का उद्देश्य एक ऐसे जोखिम मैट्रिक्स के आधार पर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के लिए एक जोखिम प्रोफ़ाइल डेटाबेस का निर्माण करना है, जो अंतर्निहित व्यावसायिक जोखिम के महत्वपूर्ण मापदण्डों को रेट करता है और उनकी निगरानी के लिए नियंत्रण रखता है. गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालय में आरबीआईआईए सॉफ्टवेयर की दो पायलट परियोजनाएँ आयोजित की गईं.

9.3 पारदर्शिता और सतर्कता का सुदृढ़ीकरण

9.3.1 सतर्कता संरचना और गतिविधियाँ

नाबार्ड में सतर्कता प्रशासन प्रबंधन कार्य का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सतर्कता कार्यों के नियंत्रण, निगरानी और पर्यवेक्षण के अलावा स्वच्छ व्यावसायिक लेनदेन, व्यावसायिकता, उत्पादकता और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देना है. नाबार्ड में मुख्य सतर्कता अधिकारी (केंद्रीय सतर्कता आयोग [सीवीसी] के परामर्श से भारत सरकार द्वारा नियुक्त) की अध्यक्षता में एक सुदृढ़ और पारदर्शी सतर्कता प्रशासन है. सीवीओ सभी सतर्कता मामलों पर नाबार्ड की नीति तैयार करने, लागू करने और समीक्षा करने में शीर्ष प्रबंधन की सहायता करते है.

सतर्कता संबंधी कार्य के तीन पहलुओं - निवारक, दंडात्मक और सहभागी - में से निवारक और सहभागी सतर्कता पर अधिक ज़ोर दिया जाता है. पूर्व अनुभवों/ घटनाओं के आधार पर, प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर प्रणाली/ प्रक्रिया में निरंतर रूप से संशोधन किए जा रहे हैं, और नाबार्ड के दिशानिर्देशों को एक निवारक सतर्कता उपाय के रूप में तैयार किया जा रहा है.

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियाँ

- वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान छह निवारक सतर्कता दौरे किए गए .
- सतर्कता-संबंधी मुद्दों पर स्टाफ सदस्यों का क्षमता निर्माण किया गया:
- वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने सीवीसी/ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो/ अन्य संगठनों द्वारा आयोजित सात प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया.
- 16 अगस्त 2023 - 15 नवंबर 2023 के बीच 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' अभियान आयोजित किया गया. इस अवधि के दौरान प्रधान कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थानों के आठ अधिकारियों ने सीवीसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षकों-हेतु-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें अधिप्राप्ति, नैतिकता और अभिशासन, संगठन की प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा, जाँच अधिकारी/ प्रेज़ेंटिंग ऑफिसर प्रशिक्षण, और निवारक सतर्कता जैसे विषय शामिल हैं. इसके अलावा एनबीएससी, लखनऊ ने अखिल भारतीय नाबार्ड स्टाफ के लिए इन विषयों पर वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए.

नाबार्ड का सतर्कता प्रशासन स्वच्छ व्यावसायिक लेनदेनों, व्यावसायिकता, उत्पादकता और नैतिक पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है.

बॉक्स 9.2: सतर्कता जागरूकता सप्ताह

30 अक्तूबर 2023 से 05 नवंबर 2023 के बीच नाबार्ड द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) मनाया गया, जिसकी थीम थी 'भ्रष्टाचार का विरोध करें - राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें'. वीएडब्ल्यू के दौरान स्टाफ सदस्यों द्वारा एक सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा ली गई और शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता पहलें आयोजित की गईं. 1,000 से अधिक स्टाफ सदस्यों के एक बड़े दल ने बांद्रा-कुर्ला संकुल में वॉकथॉन किया. प्रश्नावली प्रतियोगिता और स्टाफ सदस्यों के बच्चों के लिए चित्र प्रतियोगिता और नैतिकता तथा अभिशासन पर एक सत्र सहित विभिन्न अन्य गतिविधियाँ और कार्यक्रम आयोजित किए गए.

दिनांक 30 अक्तूबर 2023 को अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाते हुए

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023- 03 नवंबर 2023 को नाबार्ड, मुंबई द्वारा वॉकथॉन का आयोजन किया गया

9.3.2 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

पारदर्शिता प्राप्त करने और सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करने के अपने लक्ष्य के भाग के रूप में नाबार्ड आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यक सूचना प्रदान कर रहा है. प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों को पदस्थापित किया गया. प्रधान कार्यालय, मुंबई में मुख्य महाप्रबंधक (मुमप्र) मनमय मुखर्जी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं. मुख्य महाप्रबंधक एल लीवांग को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है.

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के दौरान 1,619 आरटीआई आवेदन (क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदनों और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को अंतरित आरटीआई आवेदनों सहित) और 131 अपील प्राप्त हुए और अधिनियम द्वारा निर्धारित समयसीमा में आवेदकों/अपीलकर्ताओं को वांछित जानकारी प्रदान की गई.

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान नौ शिकायत निवारण आवेदन प्राप्त हुए थे. शिकायत निवारण समिति ने वर्ष के दौरान दो बार बैठक की और प्राप्त पात्र 6 आवेदनों में से 5 आवेदनों का निपटान किया.

नाबार्ड की उद्यम संरचना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना (आईसीटी) के उपयोग से अपने ग्राहकों, साझेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को एक 'एकीकृत नाबार्ड' का अनुभव प्रदान करती है.

9.4 संधारणीय डिजिटल आधारभूत संरचना का निर्माण

9.4.1 उद्यम संरचना

नाबार्ड ने स्केलेबल परिचालन मॉडलों को डिज़ाइन करने के विज़न के साथ अपनी उद्यम संरचना (ईए) की यात्रा प्रारंभ की है, जो कि सरलता, सुरक्षा और सुगमता द्वारा संचालित है और जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना के उपयुक्त उपयोग के साथ अपने ग्राहकों, साझेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, और कर्मचारियों को एक 'एकीकृत नाबार्ड' का अनुभव प्रदान करा सके. नाबार्ड में उद्यम संरचना को अपनाए जाने से प्राप्त महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा, विभिन्न चैनलों के माध्यम से संपर्क-रहित, बाधा-रहित ढंग से एकीकृत सेवाएं उपलब्ध कराना, सेवाएं प्रदान करने की दक्षता में बेहतरी लाना और एक संर्वांगीण कार्यनिष्पादन प्रबंधन के माध्यम से सेवाओं के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता में सुधार लाना. नाबार्ड में एक उद्यम संरचना बोर्ड स्थापित किया गया है, जो कि उद्यम संरचना फ्रेमवर्क हेतु एक अभिशासकीय इकाई के रूप में कार्य करेगा.

9.4.2 आधारभूत संरचना और सुरक्षा

साइबर वातावरण में जोखिमों और चुनौतियों से प्रभावशाली रूप से निपटने हेतु नाबार्ड ने प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर डिजिटल आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए और सुरक्षा संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं.

- **सूचना सुरक्षा उपाय**: नाबार्ड ने डेटा लॉस प्रिवेंशन (डीएलपी), डेटा वर्गीकरण और मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (एमडीएम) सहित उपयुक्त सुरक्षा संबंधी उपाय प्राप्त किए हैं और उन्हें कार्यान्वित किया है.
  - डीएलपी सॉल्यूशन ईमेल, क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड कोलैबरेशन जैसे चैनलों में अनधिकृत डेटा अंतरण या लीकेज का अनुप्रवर्तन करता है, उनकी पहचान करता है और उन्हें रोकता है. वह बौद्धिक संपदा, वित्तीय डेटा और व्यक्तिगत रूप से पहचान-योग्य जानकारी सहित संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करने हेतु सुरक्षा संबंधी नीतियों का प्रवर्तन करता है, जिसके परिणामस्वरूप डेटा उल्लंघन (ब्रीच) के जोखिम का शमन होता है.
  - डेटा वर्गीकरण में संवेदनशीलता या महत्ता के आधार पर डेटा को वर्गीकृत करना शामिल है, जिससे संगठनों को तदनुसार सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाया जा सके.
  - एमडीएम सोल्यूशन संगठन के भीतर मोबाइल डिवाइस के केंद्रीकृत प्रबंधन और नियंत्रण को सक्षम बनाता है. यह डिवाइस प्रोविज़निंग, सुरक्षा प्रवर्तन और एप्लिकेशन मैनेजमेंट की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कॉर्पोरेट नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और मोबाइल डिवाइस में एक्सैस किए जाने वाले या स्टोर किए गए संवेदनशील डेटा की सुरक्षा की जा सके.
- **डेटाबेस गतिविधि अनुप्रवर्तन**: सुरक्षा संबंधी उपायों को बेहतर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान एक उपयुक्त डेटाबेस गतिविधि अनुप्रवर्तन सोल्यूशन की अधिप्राप्ति की गई और उसे कार्यान्वित किया गया. यह डेटाबेस में किसी अनधिकृत, छलपूर्ण, या अवांछित डेटा एक्सैस की घटना की पहचान करेगा और उसे रिपोर्ट करेगा. इसके अलावा, इसका कार्यान्वयन सहज है, तथा उपयोगकर्ता की उत्पादकता और दैनिक कार्यों में न्यूनतम व्यवधान होता है.
- **नेटवर्क एक्सैस कंट्रोल सॉल्यूशन**: संगठन में एंडपॉइंट सुरक्षा सुनिश्चित करने और नीति के अनुपालन हेतु एक उपयुक्त नेटवर्क एक्सैस कंट्रोल सॉल्यूशन प्रारंभ किया गया. इसके अतिरिक्त यह एक्टिव डाइरेक्टरी-आधारित लैपटॉप के लिए वाईफाई के माध्यम से अधिप्रमाणन प्रदान करेगा.

डेटाबेस गतिविधि अनुप्रवर्तन से डेटाबेस के भीतर किसी अनधिकृत, छलपूर्ण या अवांछित डेटा एक्सैस की पहचान और रिपोर्ट करने में सहायता होगी.

9.4.3 एप्लिकेशन/ सॉफ्टवेयर विकास

- **केंद्रीकृत ऋण प्रबंधन और लेखा तंत्र (सीएलएमएएस)**: नाबार्ड का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, केंद्रीकृत ऋण प्रबंधन और लेखा तंत्र (सीएलएमएएस) ऋणों और अनुदान उत्पादों के शुरुआत से संवितरण, लेखांकन और सर्विसिंग तक उनका एंड-टू-एंड लाइफ साइकिल प्रबंधन करता है. यह तुलन-पत्र और लाभ/ हानि खातों के जनरेशन की सुविधा प्रदान करता है. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान सीएलएमएएस के संपूर्ण टेक-स्टैक को सफलतापूर्वक अपग्रेड किया गया, जिससे सॉल्यूशन के कामकाज को बेहतर किया जा सके.
- **एंटरप्राइज़ कंटेन्ट मैनेजमेंट (ईसीएम)**: नाबार्ड के कॉर्पोरेट एंटरप्राइज़ कंटेन्ट मैनेजमेंट (ईसीएम) सॉल्यूशन ने केस निर्माण को सुव्यवस्थित करने, निर्णय लेने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने और अनुमोदन प्रक्रियाओं को तीव्रता प्रदान करने के अपने कार्य को जारी रखा है. इसके अलावा जुलाई 2023 में एण्ड्रॉइड और आईओएस पर ईसीएम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, जिसने उपयोगकर्ताओं को कहीं से भी केस को प्रसंस्कृत और अनुमोदित करने में सक्षम बनाया. सर्विस फाइलों को डिजिटाइज करने हेतु एक मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिससे हमारे डिजिटल रूपांतरण संबंधी प्रयासों को बढ़ावा मिला.
- **डिजीडाक**: दिनांक 01 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया डिजीडाक, ईसीएम में एकीकृत किया गया एक व्यापक मॉड्यूल है, जिससे संपूर्ण संगठन में सभी आवक और जावक पत्राचार को एक्सैस और ट्रैक किया जा सकता है. लॉन्च से 3 महीने की अल्पावधि में डिजीडाक के माध्यम से 5,000 से अधिक पत्र जारी किए जा चुके हैं, जो कि संगठनात्मक पत्राचार के प्रबंधन में इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है (बॉक्स 9.3).
- **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एम्पावर)**: एचआरएमएस-एम्पावर प्रणाली नाबार्ड की केंद्रीकृत वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली है जो मानव संसाधन-संबंधी गतिविधियों और प्रक्रियाओं को स्वचालित करती है. एम्पावर एप्लिकेशन का प्रयोग मानव संसाधन आयोजना, मूल्यांकन और कार्यनिष्पादन, पदोन्नति, प्रतिपूर्तियों, वेतन प्रक्रियाओं, छुट्टी आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने, विभिन्न स्टाफ कल्याणकारी योजनाओं आदि के लिए किया जाता है. नीति में संशोधनों/ परिवर्धनों को समायोजित करने हेतु एप्लिकेशन को अपडेट किया गया है.
- **नाबार्ड डेस्कटॉप ऐप**: हमारे डेस्कटॉप पर व्यक्तिगत सूचना प्रदान करने हेतु एक माइक्रोसॉफ़्ट विंडोज़ एप्लिकेशन डिज़ाइन और लॉन्च किया गया है. यह एप्लिकेशन स्ट्रीमलाइंड एक्सैस के लिए सिंगल साइन-ऑन की सुविधा प्रदान करता है और REST APIs[2] के माध्यम से लाइटवेट डेटा एक्स्चेंज का प्रयोग करता है. कॉन्टैक्ट्स ऐप, जो कि प्रारंभिक फीचर है, संगठन के सभी कॉन्टैक्ट्स को एक्सैस करने हेतु एक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस है. इसमें क्विक सर्च, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, सर्च विदिन रिजल्ट्स और मोबाइल डिवाइस में तीव्र डेटा अंतरण हेतु कॉन्टैक्ट क्यूआर कोड जैसी विशेषताएँ शामिल हैं.

लॉन्च से 3 महीने की अल्पावधि में डिजीडाक के माध्यम से 5,000 से अधिक पत्र जारी किए जा चुके हैं, जो कि संगठनात्मक पत्राचार के प्रबंधन में इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है.

बॉक्स 9.3: डिजीडाक का शुभारंभ

दिनांक 01 जनवरी 2024 को अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड द्वारा डिजीडाक लॉन्च किया गया, जिससे ईमेल, पत्रों, अंतर-कार्यालयी और अंतर-विभागीय ज्ञापनों, आदि सहित सभी प्रकार के पत्राचार को स्ट्रीमलाइन किया जा सके.

यह एक एकीकृत केंद्रीय रिपोजीटरी और ट्रैक स्टेटस की सुविधा के साथ सभी आंतरिक तथा बाह्य पत्राचारों को एक्सैस करने हेतु एक वन-स्टॉप शॉप प्रदान करता है. आवक और जावक संचार हेतु एकल डिजीडाक आईडी जैसे नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाने से स्वचालित इनवर्ड/ आउटवर्ड की सुविधा प्राप्त हो जाती है.

इसके अलावा पत्राचार के स्रोत पर 'कार्रवाई-योग्य' और 'सूचनात्मक' के रूप में वर्गीकृत करने से यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवश्यक मदों पर ध्यान दिया जाए. चूँकि यह एंटरप्राइज़ कंटेन्ट मैनेजमेंट (ईसीएम) में अंतर्निहित है, अतः सीधे डिजीडाक से ईसीएम पर केस प्रारंभ करने में सुगमता, बल्क मेलिंग, पृष्ठांकन, वर्टिकल एसाइनमेंट, ईमेल अलर्ट, सर्च और फिल्टर, विलंब की ट्रैकिंग और आरंभकर्ता कार्यालय/ विभाग के लिए केस क्लोज़ करने की क्षमता जैसी विभिन्न आवश्यक विशेषताएँ पत्राचार प्रबंधन हेतु समग्र प्रभावशीलता और गति को बढ़ाती है.

परिष्कृत सुविधाएं शीर्ष प्रबंधन के लिए संगठन के स्तर पर सभी पत्राचार के लिए समग्र विजिबिलिटी प्रदान करती हैं, जिससे प्रभावी निगरानी की सुविधा मिलती है.

नैबडेटा त्रुटियों को कम कर निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करेगा और ट्रेंड, पैटर्न और ऐतिहासिक प्रदर्शनों के विश्लेषण में विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा.

9.4.4 साइबर हमलों से सुरक्षा

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संकल्पित पहल के अनुसार नाबार्ड द्वारा साइबर सुरक्षा पर एक त्रैमासिक न्यूज़लेटर प्रकाशित किया जाता है, और साथ ही प्रत्येक महीने के प्रथम बुधवार को डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडोज़ स्क्रीनसेवर और प्रेजेंटेशन जारी करने के माध्यम से साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिनमें अंतिम उपयोगकर्ताओं को साइबर जागरूकता संबंधी सुझाव प्रदान किए जाते हैं.

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (अक्तूबर 2023 के दौरान मनाया गया) के भाग के रूप में नाबार्ड ने अपने कर्मचारियों में साइबर जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, नामतः साइबर सुरक्षा थीम का एसएमएस, ऑनलाइन पोस्टर, जागरूकता सत्र, ईमेल फिशिंग सिम्युलेशन गतिविधि और साइबर जागरूकता क्विज, का आयोजन किया.

साइबरसुरक्षा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और उसे बेहतर बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान निम्नलिखित पहलें की गईं:

- एक वेब एप्लिकेशन फायरवॉल (डब्ल्यूएएफ़) की अधिप्राप्ति की गई और वेब से जुड़े सभी एप्लिकेशन की साइबरसुरक्षा में सुधार लाने हेतु सार्वजनिक प्रकृति के सभी एप्लिकेशन को डब्ल्यूएएफ़ पर होस्ट किया गया.
- कार्यालय के सभी डेस्कटॉप, लैपटॉप और सभी महत्वपूर्ण सर्वर पर एंड पॉइंट सिक्यूरिटी सॉल्यूशन इन्स्टॉल किया गया है, जिससे भौतिक और वर्चुअल सर्वरों के लिए एडवांस्ड सर्वर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. ये सॉल्यूशन डिवाइस को वाइरस, स्पाइवेयर, मालवेयर, रूट किट, ट्रोजन, फिशिंग हमलों स्पैम हमलों, और विभिन्न प्रकार के साइबर खतरों से सुरक्षित रखते हैं.
- सभी यूजर एंडपॉइंट पर एक एंडपॉइंट डिटेक्शन रिसपॉन्स सोल्यूशन कार्यान्वित किया गया है जो कि हानिकारक साइबर खतरों के शमन हेतु निरंतर रूप से अनुप्रवर्तन करता रहता है.

9.5 डेटा प्रबंधन और सूचना प्रणालियों का आधुनिकीकरण

9.5.1 नैबडेटा: नाबार्ड डेटा वेयरहाउस

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान नाबार्ड ने अपनी डेटा वेयरहाउस परियोजना लॉन्च की, जिससे डेटा एकीकरण, डेटा में निरंतरता, और गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके. इसका लक्ष्य त्रुटियों को कम कर निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करना है और ट्रेंड, पैटर्न, और ऐतिहासिक प्रदर्शनों के विश्लेषण में विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है. वेयरहाउसिंग परियोजना में अपेक्षित प्रगति हो रही है. विभिन्न स्रोत प्रणालियों के साथ आंकड़ों का एकीकरण, आंकड़ों की मॉडलिंग आदि पूरी कर ली गई है. विभिन्न विभागों के लिए रिपोर्टें/ डैशबोर्ड और विश्लेषणात्मक यूज़ केसेज़ जैसे आउटपुट निर्माणाधीन हैं और कुछ उपयोग के लिए जारी किए जा चुके हैं.

9.5.2 एन्श्योर 2.0

दिनांक 27 फरवरी 2024 को एन्श्योर 2.0 (जो कि मौजूदा एप्लिकेशन की जगह लेगा) (विभिन्न विभागों की नई आवश्यकताओं सहित विस्तारित कार्यक्षेत्र, बेहतर प्रसंस्करण और विश्लेषण संबंधी क्षमताओं सहित), का सॉफ्ट लॉन्च किया गया. एन्श्योर 2.0 में लगभग 200 रिटर्न और रिपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं. यह नया एप्लिकेशन, अन्य एप्लिकेशन के साथ बहुविध एपीआई एकीकरण सहित उपयोगकर्ता हेतु अनुकूल होगा. यह विशालकाय डेटा को हैंडल कर सकता है और यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जनरेट करने हेतु सक्षम बनाएगा. सभी मॉड्यूलों के साथ एकीकृत होकर इस पोर्टल को वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान जारी करने की अपेक्षा है.

9.5.3 अकाउंट एग्रीगेटर (समीक्षा पोर्टल)

हितधारकों से सहमति-आधारित वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के लिए नाबार्ड 'अकाउंट एग्रीगेटर' परितंत्र के साथ एक वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता के रूप में जुड़ चुका है. इस परितंत्र में एक वित्तीय सूचना प्रदाता से वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता तक एक अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से सहमति-आधारित वित्तीय जानकारी प्रवाहित होती है. इस प्रयोजन हेतु विकसित किए गए एप्लिकेशन का नाम समीक्षा है.

यह पहल विभिन्न विभागों को उनके ग्राहकों/ हितधारकों के बारे में सहमति-आधारित वित्तीय जानकारी प्राप्त करने और निर्णयन के दौरान उस जानकारी का प्रयोग करने हेतु अवसर प्रदान करती है.

समीक्षा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभाग अपने ग्राहकों/ हितधारकों के बारे में सहमति-आधारित वित्तीय जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और निर्णय लेने के दौरान उस जानकारी का प्रयोग कर सकेंगे.

9.5.4 डेटा सोर्सिंग हेतु बाह्य संस्थाओं के साथ सहयोग

नाबार्ड ने विभिन्न पहलों के तहत सहयोग और विश्लेषण के लिए प्रासंगिक डेटासेट प्राप्त करने हेतु कई संस्थाओं से संपर्क किया है. वर्ष के दौरान नाबार्ड ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस - भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, माइक्रोसेव कंसल्टिंग, भाषिणी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ करार/सहमति ज्ञापन निष्पादित किए.

9.5.5 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट रजिस्ट्री

बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) के कामकाज पर अनुप्रवर्तन समिति की उप-समिति ने नाबार्ड को बीसी और उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने हेतु एक व्यापक पोर्टल विकसित करने की सलाह दी है. प्रस्तावित बीसी रजिस्ट्री न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि हितधारकों को कार्रवाई-योग्य विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सुविचारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करेगी. भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय सेवाएं विभाग भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर बीसी रजिस्ट्री गो लाइव हो जाएगी.

9.6 संसदीय समिति के दौरे और संसदीय प्रश्न

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान संसदीय समितियों ने नाबार्ड सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श किया है (तालिका 9.1).

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान नाबार्ड ने कृषक उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, ऋण माफी, भंडारागार/ गोदामों, किसान क्रेडिट कार्ड, आदि से संबंधित 196 संसदीय प्रश्नों का उत्तर दिया.

तालिका 9.1: वित्तीय वर्ष 2024 में नाबार्ड से संबंधित संसदीय समिति के दौरे

क्रम. सं.	*संसदीय समिति*	*दिनांक*
1	'सरकारी-निजी सहभागिता मोड में नई योजनाएँ' विषय पर तिरुवनन्तपुरम में सरकारी आश्वासनों पर समिति का अध्ययन दौरा (2022-2023), लोक सभा	23 अगस्त 2023
2	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, और दिव्यांगजनों जैसे ग्रामीण समुदायों के कल्याण में वृद्धि लाने और आर्थिक पिछड़ापन घटाने में नाबार्ड की भूमिका पर कोच्चि में सामाजिक न्याय और अधिकारिता (2023-24) पर स्थायी समिति का अध्ययन दौरा	3 नवंबर 2023
3	'नाबार्ड की भूमिका के मूल्यांकन सहित कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करना' विषय पर नई दिल्ली में वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य	17 नवंबर 2023
4	'नाबार्ड की भूमिका के मूल्यांकन सहित कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करना' विषय पर नई दिल्ली में वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य	22 दिसंबर 2023
5	नाबार्ड और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा हेतु गोवा में अधीनस्थ विधान पर स्थायी समिति का अध्ययन दौरा	5 जनवरी 2024
6	'नाबार्ड की भूमिका के मूल्यांकन सहित कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करना' विषय पर नई दिल्ली में वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य	11 जनवरी 2024

क्रम. सं.	*संसदीय समिति*	*दिनांक*
7	'महिला स्वयं सहायता समूह' विषय पर धोरडो (कच्छ), अहमदाबाद और दीव में महिला सशक्तीकरण पर समिति का अध्ययन दौरा	18 जनवरी 2024
8	संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा चंडीगढ़, कोलकाता, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, मुंबई और गोवा और राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया.	विभिन्न तिथियाँ

9.7 राजभाषा संवर्धन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया और कार्यालय के दैनिक कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए. भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए. हमारे सभी कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की त्रैमासिक बैठकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की उपलब्धियों की नियमित रूप से समीक्षा की गई.

नाबार्ड ने पारंगत कक्षाओं के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे ताकि हिन्दी पत्राचार और आंतरिक कार्य को बढ़ावा मिले. वर्ष के दौरान हिंदी कार्यशालाओं और डेस्क प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से स्टाफ सदस्यों को हिंदी में कार्यालय नोट एवं मसौदे तैयार करने और सूचना प्रौद्यौगिकी उपकरणों के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया. वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रधान कार्यालय सहित हमारे आठ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया.

9.8 विपणन और संप्रेषण कार्यनीति में तालमेल

नाबार्ड ने अपनी कार्यक्षेत्र विशेषज्ञता और विचारशील नेतृत्व को उजागर करने के लिए एक सुनियोजित कॉर्पोरेट संचार कार्यनीति तैयार की है. नाबार्ड ने विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से अपनी मीडिया उपस्थिति का विस्तार किया, जैसे कि लिखित लेख, फीचर कहानियां, विशेष साक्षात्कार और प्रमुख वित्तीय पत्रिकाओं जैसे बिजनेस टुडे और द वीक और ऑनलाइन मीडिया में उपस्थिति. इसने अपने ब्राण्ड को सशक्त बनाने हेतु कई फिल्में, प्रकाशन, विज्ञापन और इन-हाउस जर्नल प्रकाशित किए हैं.

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान नाबार्ड और द हिन्दू ग्रुप ने एक मिलेट्स कॉन्क्लेव को को-ब्राण्ड किया, जिसने देशभर के विशेषज्ञों को विचार-विमर्श हेतु एक मंच प्रदान किया. वियॉन के मिशन सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव को नाबार्ड ने सहयोग प्रदान किया और इस सहयोग के भाग के रूप में नाबार्ड की संधारणीय पहलों और सफलता की कहानियों को चैनल और उसके डिजिटल प्लैटफ़ॉर्मों पर प्रसारित किया गया. नाबार्ड ने बिजनेस लाइन के 2024 एग्रि एंड कोमॉडिटी समिट में भाग लिया. इन मीडिया सहयोगों के माध्यम से नाबार्ड के प्रयासों की प्रशंसा हुई और उसे अपने प्रयासों का प्रचार करने में सहायता मिली.

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान नाबार्ड और द हिन्दू ग्रुप ने एक मिलेट्स कॉन्क्लेव को को-ब्राण्ड किया, जिसने देशभर के विशेषज्ञों को विचार-विमर्श हेतु एक मंच प्रदान किया.

नाबार्ड की यात्रा और नवीनतम घटनाओं को दर्शाते हुए इकनॉमिक टाइम्स में चार-पृष्ठों का एक अनुपूरक सभी संस्करणों में परिचालित किया गया और ईटी नाव पर नाबार्ड के ऊपर एक विशेष फीचर प्रसारित किया गया. रेडियो मिर्ची की सहभागिता के साथ श्रीअन्न की महत्ता को दर्शाते हुए एक सप्ताह भर चलने वाला अभियान चलाया गया.

नाबार्ड ने इस वर्ष और अधिक सुगम्यता, बहु-उपयोगकर्ता सुलभ मैट्रिक्स और नई कलर स्कीम के साथ पुन: डिज़ाइन की गई कॉर्पोरेट वेबसाइट लॉन्च की है. वित्तीय वर्ष 2024 में नाबार्ड के प्रकाशनों के लिए एक सेंट्रल वेयरहाउजिंग मॉड्यूल रोल-आउट किया गया ताकि प्रकाशनों को रिट्रीव किया जा सके और संगठात्मक विरासत को संजोया जा सके.

नाबार्ड ने फेसबुक, एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया माध्यमों पर अपने अधिदेश के अनुकूल अच्छी तरह से तैयार की गई और सामयिक सामग्री के माध्यम से अपनी स्थिति मज़बूत की. नाबार्ड ने संचार के लिए एक कोड भी प्रकाशित किया, जो इस बारे में दिशानिर्देश निर्धारित करता है कि नाबार्ड को कर्मचारियों, भागीदारों, हितधारकों और बाहरी दुनिया के साथ कैसे संवाद करना चाहिए.

'प्रगति 1.0' को रणनीतिक, जन-केंद्रित, प्रौद्योगिकीय रूप से विकसित, और समाधान-उन्मुख बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया है.

9.9 भारत के ग्रामीण विकास के लिए गतिशील नाबार्ड

9.9.1 प्रगति 1.0 के माध्यम से परिवर्तन सुनिश्चित करना

नाबार्ड ने दिनांक 01 अप्रैल 2023 से बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'प्रगति 1.0' नामक पंच-वर्षीय रणनीतिक योजना प्रारंभ की. यह योजना 7 व्यापक विज़न पर आधारित है, 86 रणनीतियों द्वारा समर्थित है और इसका लक्ष्य 386 माइलस्टोन प्राप्त करना है, जिससे वित्तीय वर्ष 2028 तक नाबार्ड की संस्थागत यात्रा का मार्गदर्शन किया जा सके. इस योजना का उद्देश्य समावेशी वृद्धि और संधारणीय विकास का

बॉक्स 9.4: कल के भारत के लिए नए नाबार्ड का उदय (उन्नति)

'प्रगति 1.0' के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए आंतरिक क्षमताओं का वर्धन करने हेतु नाबार्ड के पुन:स्थापन अभ्यास को 'कल के भारत के लिए नए नाबार्ड का उदय (उन्नति)' का नाम दिया गया है. इस अभ्यास के भाग के रूप में निम्नलिखित पहलों को प्राथमिकता दी गई है:

- **राज्य वित्तपोषण का नवीनीकृत मॉडल:** नाबार्ड, राज्य सरकारों के लिए चयनित साझेदार के रूप में अपने अधिदेश के साथ सेरेखित क्षेत्रों में राज्य सरकारों की पूँजी परिव्यय आवश्यकताओं को पूरा करेगा और उनके साथ मिलकर ऋण और उससे इतर मदें प्रदान करने के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं का सह-निर्माण करेगा. इस पहल के तहत प्रत्येक राज्य सरकार को 'सेगमेंट ऑफ वन' के रूप में देखा जाएगा और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें कस्टमाइज्ड वित्त और वित्त से इतर प्रस्ताव प्रदान किए जाएंगे.
- **जलवायु वित्तपोषण:** वर्ष के दौरान नाबार्ड ने 'ग्रीन टैक्सोनोमी' प्रस्तुत की, जो कि हरित परियोजनाओं (ग्रीन प्रोजेक्ट्स) को टैग करने के साथ-साथ ऋण आकलन में भी शामिल किया जा रहा है. दिनांक 20 फरवरी 2024 को भारत की प्रथम उप-राष्ट्रीय जलवायु वित्तीयन सुविधा सफलतापूर्वक लॉन्च की गई, जिसमें नाबार्ड उस कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग था और इस संबंध में नाबार्ड द्वारा गोवा राज्य सरकार साथ के एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.
- **बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी:** नाबार्ड अपने अधिदेश के साथ सेरेखित थीम और क्षेत्रों में सहयोग हेतु वर्ल्ड बैंक, इंटरनैशनल फ़ाइनेंस कोऑपरेशन, एशियन डेव्लपमेंट बैंक, जापान इंटरनैशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जीआईज़ेड, राबो पार्टनर्शिप्स, आदि जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ कार्य कर रहा है. ये सहयोगी प्रयास परियोजनाओं को सह-वित्तपोषित करने, ज्ञान संबंधी साझेदारियों सहित तकनीकी और परिचालन पहलुओं को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है.
- **शेयर्ड सर्विसेस एंटिटी:** नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों के लिए एक शेयर्ड सर्विसेस एंटिटी स्थापित करना प्रस्तावित है, जो कि उन्हें अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की बराबरी पर अपने ग्राहकों को प्रौद्योगिकी आधारित कोर बैंकिंग सॉल्यूशन्स प्लस सेवाएँ प्रदान करने हेतु सक्षम बनाएगा. इससे अंतिम सिरे वाली ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को समाधानों की किफायती और दक्षतापूर्वक सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए परिचालनों में आवश्यक तेज़ी आएगी.
- **कृषि के लिए प्रयोजनबद्ध ऋण:** नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, और हितधारकों के साथ कार्य कर रहा है, जिससे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग कर प्रयोजनबद्ध ऋण सुपुर्द करने के लिए एक व्यवस्था प्रारंभ की जा सके. इस पायलट के लिए डिजिटल वर्कफलो को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
- **कृषक उत्पादक संगठन एक्सेलेटर:** नाबार्ड कृषक उत्पादक संगठनों (एफ़पीओ) के लिए एक एक्सेलेटर मॉडल तैयार कर रहा है जो कि स्थल-पर कार्यान्वयन और सहायता हेतु रणनीतिक साझेदारियों वाले एफ़पीओ के एक चुनिंदा समूह के लिए लॉन्च किया जाएगा.

संवर्धन करना, ग्रामीण ऋण संस्थाओं की आघात-सह्यता को मजबूत करना और सार्थक व्यावसायिक विस्तार प्राप्त करना है. 'प्रगति 1.0' नाबार्ड की नवोन्मेष अपनाने और पारंपरिक वार्षिक आयोजना से हटकर आगे बढ़ने की वचनबद्धता को दर्शाता है. इसे रणनीतिक, जन-केंद्रित, प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत और समाधान-उन्मुख बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया है. 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 96 माइलस्टोन की प्राप्ति की जा चुकी है.

9.9.2 नवप्रवर्तन

नवप्रवर्तन नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म है, जिसका उद्देश्य संगठन के भीतर नवोन्मेषी सोच को बढ़ावा देना है. यह पोर्टल व्यक्तिशः स्टाफ सदस्यों को नाबार्ड की नीतियों, परिचालनों, प्रणालियों, और प्रक्रियाओं, पर अपने सुझावों और प्रतिक्रियाओं को, व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों प्रकार से सब्मिट करने हेतु सक्षम बनाता है. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान इस प्लैटफ़ॉर्म के माध्यम से नौ सुझाव प्राप्त किए गए.

नोट्स

1. एएलएम = आस्ति देयता प्रबंधन.
2. RESTful API एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के लिए एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो डेटा को एक्सैस करने और उसका प्रयोग करने हेतु HTTP एप्लिकेशनों का प्रयोग करता है.

अध्याय 9 का परिशिष्ट

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड की प्रमुख नीतियाँ

1. नाबार्ड की पर्यावरण एवं सामाजिक नीति
2. नाबार्ड की जेंडर नीति
3. नाबार्ड के ग्रीन टैक्सोनोमी हेतु नीति फ्रेमवर्क (नई नीति)
4. डेटा अभिशासन और प्रबंधन पर नीति
5. सूचना प्रौद्योगिकी नीति
6. ई-अपशिष्ट प्रबंधन नीति
7. डेटा बैकअप, आर्काइवल और रिकवरी नीति
8. सूचना सुरक्षा नीति
9. साइबर सुरक्षा नीति
10. अनुपालन अनुप्रवर्तन प्रणाली
11. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(6) के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेग्रा बैंक) का निरीक्षण - क्षेग्रा बैंकों के विरुद्ध पर्यवेक्षी/ विनियामक कार्रवाई करने/ अनुशंसित करने हेतु ट्रिगर पॉइंट नीति की शुरुआत.
12. ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई फ्रेमवर्क - सेल्फ इनीशिएटिव फॉर टर्न अराउंड (एसएएफ़-एसआईटीए)
13. वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों की अधिप्राप्ति पर नीति
14. अभिलेखों के संरक्षण पर नीति
15. स्टाफ जवाबदेही नीति
16. अधिकारियों के वार्षिक स्थानांतरण की नीति
17. अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) नीति
18. जोखिम-आधारित आंतरिक निरीक्षण और लेखापरीक्षा नीति
19. ऋण लेखापरीक्षा नीति
20. व्हिसल-ब्लोअर नीति
21. सूचना प्रणाली जाँच नीति
22. उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति
23. नाबार्ड के एक्सपोजर मानदंड
24. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति
25. दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन नीति (इसके पहले ऋण रिकवरी नीति)
26. ऋण (पुनर्वित्त/ प्रत्यक्ष वित्त) नीति
27. परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति
28. आउटसोर्सिंग नीति
29. धोखाधड़ी संबंधी जोखिम प्रबंधन नीति
30. आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया नीति
31. ऋण अनुप्रवर्तन नीति
32. अनुपालन नीति